



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बागपत

दिनांक 18.03.2023

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 258/23 धारा 279/338/304A भादवि से सम्बन्धित वाहन चालक अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2023 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी मनोज कुमार पुत्र स्व0 प्रेम सिंह निवासी गांव अहैडा थाना कोतवाली बागपत ने लिखित प्रार्थना पत्र दिया कि एक कैन्टर नं0 UK-17CA 4248 के चालक द्वारा कैन्टर को तेजी व लापरवाही से चलाकर वादी की मां उम्र 60 वर्ष को वन्दना चौक बागपत पर टक्कर मार दी, जिससे वादी की मां की मृत्यु हो गई। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 258/23 धारा 279/338/304A भादवि पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा मु0अ0सं0 258/23 धारा 279/338/304A भादवि से सम्बन्धित वाहन चालक अभियुक्त गोपाल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गोपाल पुत्र कुंवरपाल निवासी अकबरपुर थाना बनियाठेर जनपद सम्भल।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री विनोद कुमार थाना कोतवाली बागपत।

2-का0 179 सचिन कुमार थाना कोतवाली बागपत।



प्रेस नोट

थाना चांदीनगर

दिनांक 18.03.2023

थाना चांदीनगर पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 21/2023 धारा
147/148/323/452/352 भादवि से सम्बन्धित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार

।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2023 को थाना चांदीनगर पर वादी श्री सत्यपाल सिंह पुत्र मंगूराम निवासी ग्राम सिंगौलीतगा थाना चांदीनगर जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तगण 1.मंगल पुत्र बाबूराम, 2.महेश चन्द पुत्र हरि सिंह, 3.सतीश पुत्र हरि सिंह, 4.सचिन पुत्र बलबीर, 5.सदीक्षण पुत्र सतीश व 6.अंकित पुत्र सतीश निवासीगण ग्राम



सिंगौलीतगा थाना चांदीनगर ने वादी के घर में घुसकर एक राय होकर लाठी-डण्डो से वादी व वादी के परिजनों के साथ मारपीट की। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना चांदीनगर पर मु0अ0सं0 21/2023 धारा 147/148/323/452/352 भादवि पंजीकृत किया गया था।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना चांदीनगर पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 21/2023 धारा 147/148/323/452/352 भादवि से सम्बन्धित 01 अभियुक्त मंगल को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

मंगल पुत्र बाबूराम निवासी ग्राम सिंगौलीतगा थाना चांदीनगर जनपद बागपता

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री सुशील कुमार ।

2-का0 433 गौरव कुमार ।



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 18.03.2023

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान 01 अवैध शराब तस्कर को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 24 पच्चे अवैध देशी शराब यूपी मार्का बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं अवैध शराब तस्करों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 24 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का बरामद हुई है ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

राजीव उर्फ गुड्डू पुत्र कृष्णपाल निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- 24 पच्चे अवैध देशी शराब उत्तर प्रदेश मार्का ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 श्री ब्रजेश पौनिया थाना छपरौली ।

2- है0का0 351 पवन नागर थाना छपरौली ।

3- है0का0 353 नरेश कुमार थाना छपरौली ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक-18.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने जिलाबदर 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा जिलाबदर होने के उपरान्त भी मा0 न्यायालय के निर्देशों का उल्लंघन करते हुए जिलाबदर की अवधि में जनपद की सीमा के अन्दर पाये जाने पर एक जिलाबदर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

पंकज उर्फ गोटा पुत्र किरनसिंह निवासी ग्राम गांगनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु0अ0स0 76/18 धारा 147/148/149/307/34 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 2-मु0अ0स0 77/18 धारा 25/27 आयुध अधि 0थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 3-मु0अ0स0 170/15 धारा 420/467/468/471 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 305/2019 धारा 452/323/504/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 231/2020 धारा 323/504/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 184/2021 धारा 147/323/506 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0स0 74/2023 धारा 4/10 यू0पी0 गुंडा अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-व0उ0नि0 श्री नन्दकिशोर थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-का0 587 सुरेन्द्र कुमार थाना दोघट जनपद बागपत ।

3-का0 467 टिंकू सिंह थाना दोघट जनपद बागपत ।



प्रेस नोट

थाना दोघट

दिनांक 18.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 73/2023 धारा 323/504/506/336 भादवि व धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से एक अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 जिन्दा व 01 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 17.03.2023 को थाना दोघट पुलिस को सूचना मिली की ग्राम बामनौली में दो पक्ष आपस में किसी बात को लेकर लाठी-डण्डों से मारपीट कर रहे हैं । सूचना पर थाना दोघट पुलिस द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए घटनास्थल पर



पहुंचकर मौके से मारपीट करने वाले 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 01 अवैध तमन्चा .315 बोर मय 01 खोखा व 01 जिन्दा कारतूस बरामद हुआ है । इस संबंध में थाना दोघट पर मु0अ0सं0 73/2023 धारा 323/504/506/336 भादवि व धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 73/2023 धारा 323/504/506/336 भादवि व धारा 3/25/35 आर्म्स एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1-भूपेन्द्र सिंह पुत्र जसवन्त सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

2-प्रतीक तोमर उर्फ बब्बू पुत्र राजीव सिंह निवासी ग्राम बामनौली थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-व०उपनि० श्री नन्द किशोर ।

2-उ०नि० श्री गजेन्द्र गिरी ।

3-का० 951 पिताम्बर कुमार ।

4-का० 894 अमित कुमार ।



प्रेस नोट
थाना दोघट

दिनांक 18.03.2023

थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 199/22 धारा 380/457/411 व मु0अ0सं0 259/2022 धारा 380/411 एवं मु0अ0सं0 260/2022 धारा 379/411 भादवि में वाँछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं चोरों/वाँछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 199/22 धारा 380/457/411 व मु0अ0सं0 259/2022 धारा 380/411 एवं मु0अ0सं0 260/2022 धारा 379/411 भादवि में वाँछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



नोट- उपरोक्त अभियोगों में थाना दोघट पुलिस द्वारा पूर्व में चोरी किया हुआ सामान बरामद कर 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अनुज उर्फ दिनेश पुत्र बिजेन्द्र कुमार उर्फ जगदीश उर्फ मांदीराम निवासी पट्टी मैनमाना कस्बा टीकरी थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उपनि0 श्री उ0नि0 श्री हरवीर सिंह ।
- 2-है0का0 300 रामबीर सिंह ।
- 3-का0 492 अनुज कुमार ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 18.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने 01 वारण्टी अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली खेकडा पुलिस द्वारा एक वारण्टी को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार वारंटी अभियुक्त का नाम व

पता:-

सोनू पुत्र आजाद निवासी खुर्रमपुर थाना कुन्डली जनपद सोनीपत हरियाणा ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 दिनेश कुमार ।

2-का0 937 शिवम शर्मा ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली खेकडा

दिनांक 18.03.2023

थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु०अ०सं० 75/23 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं गैंगेस्टर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०सं० 75/23 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

वसीम पुत्र इकबाल निवासी मौहल्ला प्रेमपुरी करबा व थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

- 1-मु०अ०सं० 470/22 धारा 380/411/457 भादवि थाना खेकडा जनपद बागपत ।
- 2-मु०अ०सं० 75/23 धारा 2/3 गैंगेस्टर अधिनियम थाना खेकडा जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ०नि० श्री रईसउल्लाह खाँ ।
- 2-है०का० 226 धर्मेन्द्र ।
- 3-है०का० 292 सिराज ।